न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

राजस्व वाद 15 / 2019

वादीनी :–

1. **श्रीमती पलीदेवी वालाराम, जाति जाट,निवासी कल्याणपुर तहसील पचपदरा जिला बाडमेर (राज)**

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. **श्रीमति लेहरोदेवी पत्नी चुन्नीलाल जाति जाट निवासी कल्याणपुर तहसील पचपदरा जिला बाडमेर**
2. **श्रीमति अणदीदेवी पत्नी जोधाराम जाति जाट निवासी कल्याणपुर तहसील पचपदरा जिला बाडमेर।**
3. **श्रीमति राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा**
4. **मैनेजर, एस.बी.आई. (एस.बी.बी.जे) शाखा कल्याणपुर**

<u>वाद पत्र वास्ते बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थित :– 1. श्री रतनलाल चौधरी वादीगण वकील

अंतिम डिक्री **दिनांक :– 23.03.2022**

वादीनी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत पेश किया गया । वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम कल्याणपुर, पटवार क्षैत्र कल्याणपुर में खेत खसरा नं0 672 / 111 रकबा 32 बीघा 5 विस्वा, खसरा संख्या 712 / 120 रकबा 1.10 बीघा, खसरा न0 1225 / 111 रकबा 5 बीघा कुल रकबा 38.15 बीघा किस्म बारानी अव्वल भूमि अवस्थित है। वादीनी व प्रतिवादीगण मौके पर काबिज काश्त है। वादीनी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 की राजस्व रेकर्ड में सामलाती की दर्ज है किन्तु मौके पर आपसी बाहमी तौर से किये गये बंटवाडे से अलग अलग काबिज काश्त है। उक्त वादग्रस्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु निवेदन किया गया। वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक 17.12.2020 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड हक हिस्से की भूमि मे बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार **पचपदरा** को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया। तहसीलदार **पचपदरा** के द्वारा मौके पर उभय पक्षकारान की उपस्थिति में माफिक मौके पर कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय को दिनांक 19.04.2021 को भिजवाया गया। वादीनी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई, जिन्होने विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार कर अंतिम डिक्री जारी करने का निवेदन किया गया ऐसी स्थिति में वादीनी के वाद एवं विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार कर अंतिम डिक्री जारी करने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रत्तीत नहीं होती है।

वादीनी के वाद एवं विभाजन प्रस्ताव को फाईनल रूप से निम्नानुसार स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी पृथक–पृथक विभाजित की जाती है:–

क्र. स.	खातेदार	ख0न0	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
1.	पलीदेवी पत्नी वालाराम जाट सा देह रहन एस.बी.बी.जे कल्याणपुर	1225 / 1[illegible] 672 / 111	[illegible] 16–17	[illegible] बा.[illegible]	0–6[illegible] 4–21	बेंगनी
2.	लेहरो देवी पत्नी चून्नीलाल हि. जाट सा देह	712 / 120 1225 / 111	1–10 2–10	बा.अ बा.अ	0–38 0–62	हरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 15:59:05 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

	लेहरो देवी पत्नी चून्नीलाल 278 / 308 हि अणचीदेवी पत्नी जोधाराम 30 / 308 हि. जाट सा देह	672 / 111	15–08	बा.अ बा.अ	3–85	हरा
4.	श्रीमती पली देवी पत्नी बालाराम 1 / 2 लेहरो देवी पत्नी चून्नीलाल 1 / 2 सा0 देह रहन पलीदेवी का हि	709 / 120	11–05	बा.अ	2–81	यथावत

तहसीलदार, **कल्याणपुर** को आदेशित किया जाता है कि वह उपरोक्तानुसार नामांतकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें साथ ही नामांतरकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करे । विभाजन प्रस्ताव व विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 23.03.2022 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

सहायक कलक्टर (SDO) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 15:59:05 IST
Reason: SelfAttested

डिकरी ब मुकदमे इब्तादाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Cill Procedure Code,Appendeix "d" 1)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी – श्री नरेश सोनी , आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 15/2019

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

श्रीमती पलीदेवी वालाराम, जाति जाट,निवासी कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर जिला बाडमेर

1. श्रीमति लेहरोदेवी पत्नी चुन्नीलाल जाति जाट निवासी कल्याणपुर
2. श्रीमति अणदीदेवी पत्नी जोधाराम जाति जाट निवासी कल्याणपुर
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कल्याणपुर
4. मैनेजर, एस.बी.आई. (एस.बी.बी.जे) शाखा कल्याणपुर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू न्यायालय बहाजरी वादीगण मिनजानिब वकील प्रतिवादीगण स्वंय मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी जारी की जाती है कि वादीनी के वाद एवं विभाजन प्रस्ताव को फाईनल रूप से निम्नानुसार स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी पृथक–पृथक विभाजित की जाती है:–

क्र. स.	खातेदार	ख0न0	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
1.	पलीदेवी पत्नी वालाराम जाट सा देह रहन एस.बी.बी.जे कल्याणपुर	1225/111 672/111	2–10 16–17	बा.अ बा.अ	0.–63 4–21	बेंगनी
2.	लेहरो देवी पत्नी चून्नीलाल हि. जाट सा देह	712/120 1225/111	1–10 2–10	बा.अ बा.अ	0–38 0–62	हरा
3	लेहरो देवी पत्नी चून्नीलाल 278/308 हि अणचीदेवी पत्नी जोधाराम 30/308 हि. जाट सा देह	672/111	15–08	बा.अ बा.अ	3–85	हरा
4.	श्रीमती पली देवी पत्नी वालाराम 1/2 लेहरो देवी पत्नी चून्नीलाल 1/2 सा0 देह रहन पलीदेवी का हि	709/120	11–08	बा.अ	2–81	यथावत

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 15:59:05 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार, **कल्याणपुर** को आदेशित किया जाता है कि वह उपरोक्तानुसार नामांतकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें साथ ही नामांतरकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करे । विभाजन प्रस्ताव व विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा।

बीज मुबलिग बाबत खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारिख में वसूलयाबी तक को अदा करे।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23.03.2022 को जारी की गई।

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 15:59:05 IST
Reason: SelfAttested